कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वाररोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone: **0135 2665366**

विज्ञप्ति संख्याः– 10/2023 दिनांक 07 जून, 2023

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत टैक्नीशियन संवर्ग के लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदो पर लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के टैक्नीशियन संवर्ग के अन्तर्गत पूर्व में दिनांक 06 मार्च 2022 हेतु निर्धारित लैब टैक्नीशियन के रिक्त पदों की लिखित परीक्षा बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0(टैक्नी0)/02/2021–22/107, दिनांक 05 मार्च, 2022 के माध्यम से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई थी।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या WPSS No. 338 of 2022, WPSS No. 352 of 2017, WPSS No. 361 of 2022 एवं WPSS No. 412 of 2022 में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 27 मार्च 2023 को पारित अंतिम आदेश के अनुपालन में उक्त स्थगित लिखित परीक्षा **दिनांक 02 जुलाई 2023 (रविवार)** को आयोजित की जायेगी।

लैब टैक्नीशियन की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक 25 जून 2023 से बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर पंजीकरण संख्या (Registration Number) तथा पासवर्ड (Password) अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का केन्द्र अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में चाहे गए विकल्प के अनुसार ही देय होगा। परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा सम्बन्धी अन्य सूचना यथा परीक्षा का समय, परीक्षा स्थल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएं प्रवेश पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

अभ्यथियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा हेतु जारी किए जाने वाला प्रवेश पत्र औपबन्धिक है। इसके आधार पर अभ्यर्थी चयन हेतु कोई भी दावा नही कर सकता है। अतः परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं एवं अन्य अनिवार्य अर्हतायें, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि (दिनांक 27 जनवरी, 2022) तक पूर्ण करता हो। अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र स्वीकार/मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम में आने पर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दर्शाये गये समस्त डाटा के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के दौरान बोर्ड के समक्ष उपलब्ध कराने होंगे। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी के अंतिम चयन पर विचार किया जायेगा। किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तथा परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम– 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

नोटः जिन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश के क्रम में सम्मिलित किया गया है, उन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई मेल आई0डी0 के माध्यम से लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्रेषित किये जायेंगे।

ह0/–
(गरिमा रौंकली)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।